कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़।

ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 1041 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 27–10–2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बड़ाबे–धारी–बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्वारबन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.867 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (**Online proposal no- FP/UK/ROAD/35678/2018**)।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक– 7469/12–1 दि0 13–06–2025 ।

महोदय,

उक्त विषयक भारत सरकार/पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/56/2019/एफ0सी0 दि0 28–02–2025 के कम में विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में भूवैज्ञानिक रिर्पोट में दिये गये सुझावों को मोटर मार्ग निर्माण में लागू किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत रिर्पोट चाही गयी है, जिसके कम में आप द्वारा चाही गयी भूवैज्ञानिक रिर्पोट में दिये गये सुझावों के सापेक्ष बिन्दुवार आख्या प्रश्नोत्तर रूप में निम्नानुसार तैयार कर प्रेषित की जा रही हैं :–

क्र.सं.	भूवैज्ञानिक रिर्पोट में दिये गये सुझाव	अनुपालन
1	पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण अवश्य किया जाय।	अनुपालन किया गया है।
2	सूखे नालों पर स्कपर/कल्वर्ट/कॉजवे/पुल का निर्माण किया जाय।	अनुपालन किया गया है।
3	चिरस्थायी नाला पर भूगर्भीय निरीक्षण के बाद मजबूत पुल का निर्माण किया जाय।	कार्यवाही प्रगति पर है।
4	मलवा स्खलन/पात एवं गॉव वाले भाग में ब्रेस्ट/रिटेनिंग वाल का आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाय।	अनुपालन किया गया है।
5	मोटर मार्ग के निर्माण के समय गॉव के पास विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।	अनुपालन किया गया है।
6	मोटर मार्ग के निर्माण के समय भूकम्पीय मानकों का अनुपालन किया जाय।	अनुपालन किया गया है।
7	पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये मार्ग का निर्माण कार्य किया जाय।	अनुपालन किया गया है।
8	पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गो के निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।	अनुपालन किया गया है।
9	मार्ग निर्माण के समय कृषि भूमि के ऊपरी मिट्टी की परत को बर्बादी से रोका जाय।	अनुपालन किया गया है।
10	अन्य आवश्यक उपाय जो मोटर मार्ग निर्माण में सहायक हों अवश्य किये जायें।	अनुपालन किया गया है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :– श्री सतीश चन्द्र शर्मा, सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/56/2019/एफ.सी. **दिनांक: As per E-sign**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद-पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बड़वे-धारी-बेलताड़ी मोटर मार्ग के किमी 10.00 से क्वारबान मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.867 हे0 वन भूमि का गैर यानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (Online Proposal No-FP/UK/ROAD/35678/2018).

सन्दर्भः कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1450/12-1: देहारादून: दिनांक -22-11-2024 (received online on 16.12.2024).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि FRCM की बैठक दिनांक 20-09-2022 के MoM द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमे कुछ त्रुटियाँ पाई गई है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per the direction of FRCM meeting on 20.09.2022, the concerned DFO is requested to visit the entire alignment of the road and submit a detailed report mentioning the extent of violation. Further the DFO shall also report regarding the implementation of the recommendations mentioned in the geologists' report as the area is found to be susceptible for landslides. However, as per the reply of EDS, the concerned DFO has not submitted his/her inspection report, so he/she is directed again to carry out the inspection and submit the report as per the directions od FRCM meeting on 20.09.2022.
2. If any violation is found then a separate additional diversion proposal shall be submitted for the area violated and damaged due to the change in approved alignment along with the details of CA, NPV and Penal NPV.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 28-02-2025 15:11:32

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।